रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2018/ ज्येष्ठ 11, 1940
No. 211] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2018/ JYAISTHA 11, 1940

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 31 मई, 2018

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2018

सं. सेबी/एल. ए. डी.-एन. आर. ओ./जी. एन./2018/23.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 21क के साथ पठित धारा 31, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 में, —
   I. विनियम 3 में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

   "(3) इन विनियमों में दी हुई कोई भी बात दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) [2016 की 31] की धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन

प्लान) के अनुसरण में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के इक्विटी शेयरों की की जाने वाली किसी असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) पर लागू नहीं होगी, यदि ऐसी योजना,–

(क) ऐसे शेयर की असूचीबद्धता को पूरा करने के लिए कोई विशेष (विनिर्दिष्ट) प्रक्रिया निर्धारित (अधिकथित) करे; या

(ख) मौजूदा (विद्यमान) सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) को समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) में निर्धारित (विनिर्दिष्ट) कीमत पर निकास (एग्ज़िट) का विकल्प प्रदान करे (उपलब्ध कराए):

परंतु यह कि, शेयरधारकों को निकास (एग्ज़िट) उस कीमत पर प्रदान किया जाना चाहिए, जो समापन मूल्य (लिक्विडेशन वैल्यू) [जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 35 के अनुसार निर्धारित की जाए और जिसमें से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) [2016 की 31] की धारा 53 के अधीन यथा निर्धारित प्राथमिकता के क्रम के अनुसार देयराशियों को चुका दिया जाए] से कम न हो:

परंतु यह और कि, यदि मौजूदा संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) या किन्हीं अन्य शेयरधारकों (शेयरहोल्डर्स) को समाधान योजना के अधीन निकास (एग्ज़िट) का अवसर ऊपर दिए हुए परंतुक के अनुसार निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर प्रदान किए जाने का प्रस्ताव हो, तो मौजूदा सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) को भी उस कीमत पर निकास का अवसर प्रदान किया जाएगा, जो उस कीमत (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) से कम नहीं होगी जिस कीमत पर ऐसे संप्रवर्तकों या अन्य शेयरधारकों को, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, निकास का अवसर प्रदान किया जाता हो:

परंतु यह भी कि, ऐसी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के ब्यौरे [प्रस्तावित असूचीबद्धता के संबंध में निकास कीमत (एग्ज़िट प्राइस) के औचित्य के साथ] मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) [2016 की 31] की धारा 31 के अधीन समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) के अनुमोदित होने से एक दिन के भीतर प्रकट (डिस्क्लोज़) किए जाएँगे।"

II. विनियम 30 में, उप-विनियम (2) के पश्चात् और उप-विनियम (3) से पूर्व, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"(2क) उप-विनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, असूचीबद्ध (डीलिस्टिड) इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के लिए आवेदन उस कंपनी की बाबत किया जा सकेगा, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) [2016 की 31] के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (कारपोरेट इन्सॉल्वेन्सी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस) से गुज़र चुकी हो।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/86/18]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-2010/09/165992 द्वारा, 10 जून 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. मूल विनियम तत्पश्चात् :

(क) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा

(ख) 24 मार्च 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2014-15/27/541, द्वारा

(ग) 14 अगस्त 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2015-16/010, द्वारा

(घ) 12 जनवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2015-16/030, द्वारा

(ङ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st May, 2018

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DELISTING OF EQUITY SHARES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/23.— In exercise of the powers conferred by section 31 read with section 21A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), sub-section (1) of section 11, sub section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, namely, -

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2018.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009,—

I. in regulation 3, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely,

"(3) Nothing in these regulations shall apply to any delisting of equity shares of a listed entity made pursuant to a resolution plan approved under section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 [No. 31 of 2016], if such plan, –

(a) lays down any specific procedure to complete the delisting of such share; or

(b) provides an exit option to the existing public shareholders at a price specified in the resolution plan:

Provided that, exit to the shareholders should be at a price which shall not be less than the liquidation value as determined under regulation 35 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 after paying off dues in the order of priority as defined under section 53 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016[No. 31 of 2016]:

Provided further that, if the existing promoters or any other shareholders are proposed to be provided an opportunity to exit under the resolution plan at a price higher than the price determined in

terms of the above proviso, the existing public shareholders shall also be provided an exit opportunity at a price which shall not be less than the price, by whatever name called, at which such promoters or other shareholders, directly or indirectly, are provided exit:

Provided also that, the details of delisting of such shares along with the justification for exit price in respect of delisting proposed shall be disclosed to the recognized stock exchanges within one day of resolution plan being approved under section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 [No. 31 of 2016]."

II. in regulation 30, after sub-regulation (2) and before sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely, -

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), an application for listing of delisted equity shares may be made in respect of a company which has undergone corporate insolvency resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016[No. 31 of 2016]."

AJAY TYAGI, CHAIRMAN

[ADVT.-III/4Exty./86/18]

Footnote:

1. The SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, were published in the Gazette of India on 10 June, 2009 *vide* No. LAD-NRO/GN/2009-2010/09/165992.

2. The Principal Regulations were subsequently amended on:

(a) October 8, 2013 by the SEBI (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 *vide* No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.

(b) March 24, 2015 by SEBI (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2015 *vide* No. LAD-NRO/GN/2014-15/27/541.

(c) August 14, 2015 by SEBI (Delisting of Equity Shares) (Second Amendment) Regulations, 2015 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/010.

(d) January 12, 2016 by SEBI (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2016 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/30.

(e) March 6, 2017 by SEBI (Payment Of Fees And Mode Of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/037.

****

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.06.04 15:34:55 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2018/ज्येष्ठ 11, 1940
No. 280]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2018/ JYAISTHA 11, 1940

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 31 मई, 2018

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2018

सं. सेबी/ एल.ए.डी.- एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2018/ 20.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में,—

I. विनियम 3 में, उप-विनियम (2) में, उप-विनियम (2) के परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"परंतु यह और कि, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) [2016 की 31] की धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) के अनुसरण में किए जाने वाले अर्जन (एक्कज़िशन) को विनियम 3 के उप-विनियम (2) के परंतुक के अधीन बाध्यता से छूट होगी।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./83/18]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, 23 सितम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. मूल विनियम तत्पश्चात् :

   (क) 26 मार्च, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/36/7368, द्वारा

   (ख) 8 अक्तूबर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा

   (ग) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

   (घ) 24 मार्च, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2014-15/28/542, द्वारा

   (ङ) 5 मई, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी.एन.आर.ओ./ ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/004, द्वारा

   (च) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/009, द्वारा

   (छ) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/026, द्वारा

   (ज) 17 फरवरी, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/035, द्वारा

   (झ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/002, द्वारा

   (ञ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा

   (ट) 14 अगस्त, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/015, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st May, 2018

Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2018

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/20.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, namely,—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2018.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011,-

I. in regulation 3, in sub-regulation (2), after the proviso and before the explanation to sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided further that, acquisition pursuant to a resolution plan approved under section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 [No. 31 of 2016] shall be exempt from the obligation under the proviso to the sub-regulation (2) of regulation 3"

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./83/18]

Footnote:

1. The SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India on 23rd September, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/24/30181.
2. The Principal Regulations were subsequently amended on:
   (a) March 26, 2013 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/36/7368.
   (b) October 8, 2013 by the SEBI (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.
   (c) May 23, 2014 by the SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
   (d) March 24, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers)(Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/28/542.
   (e) May 5, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/OIAE/GN/2015-16/004.
   (f) August 14, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/009.
   (g) December 22, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/026.
   (h) February 17, 2016 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/035.
   (i) May 25, 2016 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers)(Second Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/002.

(j) March 6, 2017 by SEBI (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification dated March 29, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.

(k) August 14, 2017 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2018/ज्येष्ठ 11, 1940
No. 210] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2018/JYAISTHA 11, 1940

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 31 मई, 2018

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018

सं. सेबी/एल. ए. डी.-एनआर. ओ./ जी. एन./ 2018/ 22.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में,-

   I. विनियम 70 में, उप-विनियम (1) में,-

      क. खंड (ग) का लोप हो जाएगा; और

      ख. उप-विनियम (1) के परंतुक का लोप हो जाएगा।

   II. विनियम 70 में, उप-विनियम (1) के पश्चात् और उप-विनियम (2) से पूर्व, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात,-

"(1क) इस अध्याय के प्रावधान (उपबंध), अवरुद्धता (लॉक-इन) संबंधी प्रावधानों को छोड़कर, वहाँ लागू नहीं होंगे जहाँ निर्धारित (विनिर्दिष्ट) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रीकंस्ट्रक्शन) द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 [सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज़ (स्पेशल प्रोविज़न्स) एक्ट, 1985] [1986 का 1] के अधीन अनुमोदित पुनर्वास स्कीम

(रिहेबिलिटेशन स्कीम) के अनुसार या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) [2016 की 31] की धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) के अनुसार, जो भी लागू हो, लाया जाता हो ।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./85/18]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471, 26 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 तत्पश्चात् :-

(1) 11 दिसम्बर 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/23/186926, द्वारा

(2) 1 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-2010/25/189240, द्वारा

(3) 8 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2009-10/26/190146, द्वारा

(4) 13 अप्रैल 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जी.एन./2010-11/03/1104, द्वारा

(5) 12 नवम्बर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/19/26456, द्वारा

(6) 29 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जीएन/2011-12/05/13907, द्वारा

(7) 23 सितम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, द्वारा

(8) 23 सितम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/25/30309, द्वारा

(9) 30 जनवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/34/2499, द्वारा

(10) 7 फरवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/35/3186, द्वारा

(11) 21 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, द्वारा

(12) 24 अगस्त 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/12/18951, द्वारा

(13) 12 अक्तूबर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/18/5391, द्वारा

(14) 27 फरवरी 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/32/4947, द्वारा

(15) 26 अगस्त 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी-एन/2013-2014/19/6422, द्वारा

(16) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा

(17) 7 जनवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा

(18) 4 फरवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/44/226, द्वारा

(19) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/ 03/1089, द्वारा

(20) 25 अगस्त 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी/एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/06/1372, द्वारा

(21) 24 मार्च 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/24/538, द्वारा

(22) 5 मई 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.ई./जी.एन./2015-16/003, द्वारा

(23) 11 अगस्त 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-2016/007, द्वारा

(24) 14 अगस्त 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2015-16/008, द्वारा

(25) 14 अगस्त 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/012, द्वारा

(26) 2 सितम्बर 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, द्वारा

(27) 10 सितम्बर 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (छठा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जी.एन./2015-16/018, द्वारा

(28) 27 अक्तूबर 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/025, द्वारा

(29) 21 जनवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/031, द्वारा

(30) 17 फरवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/036, द्वारा

(31) 25 मई 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/003, द्वारा

(32) 30 नवम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/017, द्वारा

(33) 15 फरवरी 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/030, द्वारा

(34) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा

(35) 31 मई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/006, द्वारा

(36) 31 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/014, द्वारा

(37) 14 अगस्त 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/016, द्वारा

(38) 12 फरवरी 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एफ.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2018/01, द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st May, 2018

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/22.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, namely:—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, -

I. in regulation 70, in sub-regulation (1),-

A. clause (c) shall be omitted; and

B. the proviso to sub-regulation (1) shall be omitted.

II. in regulation 70, after sub-regulation (1) and before sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely,-

"(1A) The provisions of this Chapter, except the lock-in provisions, shall not apply where the preferential issue of specified securities is made in terms of the rehabilitation scheme approved by the Board of Industrial and Financial Reconstruction under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 [1 of 1986] or the resolution plan approved under section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 [No. 31 of 2016] whichever applicable."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./85/18]

Footnote:

1. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India on 26th August, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/15/174471.

2. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were subsequently amended on:-

(1) 11th December, 2009 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 10/23/186926.

(2) 1st January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 2010/25/189240.

(3) 8th January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide No. LADNRO/GN/2009-10/26/190146.

(4) 13th April, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2010 vide No. LADNRO/GN/2010-11/03/1104.

(5) 12th November, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2010 vide No. LADNRO/GN/2010-11/19/26456.

(6) 29th April, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2011 vide F. No. LADNRO/GN/2011-12/05/13907.

(7) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/24/30181.

(8) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide F. No. LADNRO/GN/2011-12/25/30309.

(9) 30th January, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/34/2499.

(10) 7th February, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LADNRO/GN/2011-12/35/3186.

(11) 21st May, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.

(12) 24th August, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2012 vide No. LADNRO/GN/2012-13/12/18951.

(13) 12th October, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2012 vide No. LADNRO/GN/2012-13/18/5391.

(14) 27th February, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/32/4947.

(15) 26th August, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Second Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/19/6422.

(16) 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.

(17) 7th January, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.

(18) 4th February, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/44/226.

(19) 23rd May, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

(20) 25th August, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/06/1372.

(21) 24th March, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/24/538.

(22) 5th May 2015 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI-NRO/OIAE/GN/2015-16/003.

(23) 11th August 2015 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/007.

(24) 14th of August, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/008.

(25) 14th of August, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/012.

(26) 02nd of September, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.

(27) 10th of September, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/18.

(28) 27th of October, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2015-16/025.

(29) 21st of January, 2016 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2015-16/031.

(30) 17th of February, 2016 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2015-16/036.

(31) 25th of May, 2016 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/003.

(32) 30th of November, 2016 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/017.

(33) 15th of February, 2017 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/030.

(34) 6th of March, 2017 by SEBI (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification dated 29th of March, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.

(35) 31st of May, 2017 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/06.

(36) 31st of July, 2017 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/014.

(37) 14th of August, 2017 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/016.

(38) 12th of February, 2018 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/01

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.